न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 17/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. रूपचन्द पुत्र झूंझाराम जाति खटीक निवासी ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार (भमि धारक), तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — .10.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 893, 895 लगायत 897 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 894 रकबा 1.80 हैक्टर वाके ग्राम गोवटी पटवार हल्का गोवटी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हिस्सा व कब्जा काश्त है एवं प्राथ्र्झी के हक हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में रूपाराम पुत्र झूंझाराम के नाम सें दर्ज है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रूपचन्द पुत्र झूंझाराम है जो कि ग्राम पंचायत गोवटी द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, पेन्शन रिकॉर्ड आदि दस्तावेजों सें पूर्णतया साबित व प्रमाणित है एवं उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रूपचन्द पुत्र झूंझाराम ही दर्ज है।। रूपाराम व रूपचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है तथा प्रार्थी अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये ऋण लेना चाहता है जिसके लिए संबंधित बैंक मैनेजर द्वारा मना करने पर कि आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है तो प्रार्थी को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 893, 895 लगायत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

897 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 894 रकबा 1.80 हैक्टर वाके ग्राम गोवटी पटवार हल्का गोवटी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र झूंझाराम के स्थान पर रूपचन्द पुत्र झूंझाराम जाति खटीक निवासी ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज करते हुए इस प्रकार की रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि रूपाराम व रूपचंद एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रूपाराम पुत्र झूंझाराम दर्ज है जिसें दुरूस्त किया जावे तथा रूपाराम पुत्र झूंझाराम के स्थान पर रूपचन्द पुत्र झूंझाराम दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम पंचायत गोवटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.08.2019 के अनुसार रूपचन्द पुत्र झूंझाराम व रूपाराम पुत्र झूंझाराम एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम ना0सं0 23 दिनांक 07.10.1993 के द्वारा झूंझा पुत्र लादू के फौत होने पर विरासत सें रूपाराम दर्ज हुआ है। आवेदक के सही नाम की जांच बाबत पटवारी हल्का सें रिपोर्ट ली गई राजस्व रिकॉर्ड की जांच में जमाबंदी सं0 2076–79 में रूपाराम पुत्र झूंझाराम दर्ज है। ग्राम गोवटी के खसरा नम्बर 893, 895 लगायत 897 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 894 रकबा 1.80 हैक्टर में रूपाराम पुत्र झूंझाराम के स्थान पर रूपचन्द पुत्र झूंझाराम दर्ज किया जाना उचित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी/आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोवटी पटवार हल्का गोवटी तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 893, 895 लगायत 897 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 894 रकबा 1.80 हैक्टर में खातेदार प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र झूंझाराम के स्थान पर रूपचन्द पुत्र झूंझाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक .10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner